

प्राथी
रिवां हस्त
तिरनपति काइबर्स एंड
एड. सिडि, आबूरोड

राज. अधिकारी-अधिसि
सहस्रीखण्ड, आबूरोड
न. अ. नं. 1

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1 के वर्ष 2023

तारीख	हुकम या कार्यवाही का विवरण मय इनिशियल जज	नाम्बर व तारीख
10/5/2023	<p>यह राजस्व प्रार्थना पत्र प्राथी के ओर से कर्जागीण के विक्रह अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रशासन गांवो के संग अन्वियान 2023 के मय गिरवर मे पेश किया गया है।</p> <p>कतः यह राजस्व प्रार्थना पत्र का पंजीजन किया जाकर कर्जागीण के नोटिस जारी किया जावै।</p> <p>पंजावली कालेदा प्रशासन गांवो के संग अन्वियान 2023 के मय सुरपगला मे कालेदा दिनांक 19/5/2023 के पेश है।</p> <p style="text-align: center;">(11)</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर आबूरोड (सिरोही)</p>	<p style="text-align: center;">10/11-12</p>
19/5/2023	<p>पंजावली प्रशासन गांवो के संग अन्वियान 2023 के मय सुरपगला पेश। कर्जागीण के जारी नोटिस लामिन शुदा प्राप्त। प्राथी मैसर्स तिरनपति</p>	<p style="text-align: center;">T 212</p> <p style="text-align: center;">Seema Sarin JEN Abu Road</p>

अधिकारी शिविर
अधिकारी-आबूरोड
सहस्रीखण्ड गांवो के संग अन्वियान-2023
19/05/2023

प्रशासन गांवों के संग
अभियान नंबर 2023

नक्शे में खसरा नंबर 690/1 दशरथि गंगा
में जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम
रजि है एवं पी० डब्ल्यू० डी० के स्थान पर
खसरा नंबर 690/2 जो कि रिक्त के नाम
से है। जो दशरथि गंगा है। रेवेन्यू रेकॉर्ड
में हुई गलती को सुधारने से प्रार्थी व
किसानी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव
नहीं पड़ेगा। नक्शा किरदार में खसरा
नंबर 690/1 के स्थान पर खसरा नंबर
690/2 अंकन करने से रेवेन्यू रिकार्ड
में भी कोई फेर बदल नहीं होगा है।
इस कारण मात्र नक्शा किरदार में
खसरा नंबर 690/2 रकबा 0.6449
हेक्टेयर के स्थान पर 690/1 रकबा 0.2150
हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 690/1 रकबा
0.2150 के स्थान पर 690/2 रकबा 0.6449
हेक्टेयर दशरथि जाकर संशोधन करवाने
का कथन किया है।

सहस्री नगर काबूरोड में जवाब प्रस्तुत
कर कथन किया कि राजस्व रिकार्ड अनुसार
मौजा सोलपुर के खाल संख्या 638 के
खसरा नंबर 690/2 रकबा 0.6449 हेक्टेयर
रिक्त के नाम दर्ज है तथा खसरा संख्या
690/1 रकबा 0.2150 हेक्टेयर किस्त गैर
मुमकिन सडक खाल संख्या 634 सार्वजनिक
निर्माण विभाग काबूरोड के नाम दर्ज है।
मौजे की स्थिति अनुसार प्रार्थी व किसानी सं. 2
किसाने - 2 खसरा नंबर की भूमि पर काबिज है।

- नक्शाकार

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023
उपखण्ड अधिकारी काबूरोड

राजस्व रेकॉर्ड अनुसार खसरा संख्या 690/1 रकबा 0.2150 हेक्टेयर गैर मुम्किन सडक सार्वजनिक निमण विभाग आबूरोड के नाम से खसरेदार दर्ज है लेकिन मौका व स्थिति अनुसार वर्तमान में वहां किसी भी प्रकार की सडक का निमण नहीं हो रहा है। जबकि खसरा संख्या

690/2 किस्म नहरी-1 रकबा 0.6449 हेक्टेयर रिक्त के नाम से खसरेदार दर्ज है मौके व स्थिति अनुसार उस स्थान पर सडक गुजर रही है।

राजस्व रेकॉर्ड व मौके की स्थिति

अनुसार खसरा संख्या 690/1 रकबा

0.2150 हेक्टेयर को खसरा संख्या

690/2 रकबा 0.6449 हेक्टेयर तथा

खसरा संख्या 690/2 रकबा 0.6449

हेक्टेयर को खसरा संख्या 690/1

रकबा 0.2150 हेक्टेयर दर्ज करने पर

राजस्व रेकॉर्ड के किसी प्रकार फेर बदल

नहीं होने का कथन किया है।

इसी प्रकार अधिशाही अधिकारी

सार्वजनिक निमण विभाग आबूरोड ने

भी जवाब प्रस्तुत कर राजस्व रेकॉर्ड

के अनुसार संशोधन किया जाना इचित्त

होने का कथन किया है।

- अगावा

प्रशासन अधिकारी शिविर
(उपखंड अधिकारी-आबूरोड)

क्र.सं: उपरोक्त प्रार्थना का अनागत

धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
जो कि प्रशासन गांवों के संग अभियान
मुख्यमाला में क्षमि जेवा दुआ तथा कृषीगिण
कृषीगिण तहसीलदार काबूरोड व कृषिशर्मा
कृषिपाला सार्वजनिक निकलण विभाग, काबूरोड
द्वारा जवाब प्रस्तुत किला जफा व दोनो
कृषीगिण ने अपने जवाब व कहस के भीकहा
कि प्रार्थी का प्रार्थना का मकरो के तरसीम
संबंधी होने से तथा खसरा संख्या 690/1
व 690/2 को एक दूसरे के स्थान पर
मोंडे अनुसार मकरो के तरसीम किला जाना
उचित होगा। सीको काबूरोड के वर्तमान
खसरा संख्या 690/2 (मूल खसरा नं. 690)
प्रार्थी तिरनपारि फाइबर्स एंड इन्डस्ट्रीज लिमि
काबूरोड को 99 वर्ष डि लीज हेतु कंवैरिड
किला है तथा किले का दिनांक 16/11/2023
द्वारा मैसर्स तिरनपारि फाइबर्स एंड इन्डस्ट्रीज
को प्रार्थना का व पचाचार हेतु कंधिहत
किला है।

क्र.सं: उपरोक्त प्रार्थना का नै वगैरिस
तथ्यो, प्रस्तुत जवाब, कृषीगिण कहस
उन्नत पडन के कंधार पर गह स्पष्ट है
कि धाम सोरपुर के खाला संख्या 638
के खसरा संख्या 690/2 रकबा 0.6449
हेक्टेयर, 690/1, रकबा 0.2150 हेक्टेयर

प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2023

जो भी रीजो व सार्वजनिक निर्माण
विकास के काम पर क्रमशः वर्तित हैं
होए अपने-अपने बचके पर काबिज हैं
एकदम नकशों में दोनों स्वसरे एक
दूसरे की जगह गलत दर्ज हो रहे हैं।

अतः राजस्थान नू-राजस्व विधि 1956
की धारा 136 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए केज प्रशासन
गांवों के संग अभियान 2023 के अंत
शुरुआत में दिनांक 19/5/2023 को
आदेश करवा है कि भाम खोल्पुर
पट्टार हल्का खोल्पुर में खोल्पुर

सौराष्ट्र 634, 638 के एकरा संख्या
19/5/690/1 व 690/2 को नकशों में
एक दूसरे की जगह प्रतिस्थापित
किया जावे। दोनों स्वसरो के स्वामित्व
व बचके में किसी प्रकार का फेरबदल
नहीं होगा। लहलीमदार शाबू रोड
को उपरोक्तानुसार राजस्व नकशों में
संशोधन कर राजस्व रेकॉर्ड को सुरक्षित करने
के आदेश दिए जाते हैं।

प्रमाणित केवल सुन्दर टाकरजंवर
सकल हो



उपखण्ड अधिकारी 1/23
उपखण्ड कार्यालय आबूरोड
प्रभार आबूरोड शिबिर
(उपखण्ड आबूरोड-आबूरोड)
प्रशासन गांवों के अभियान-2023
कैम्प.....